एम. एल. कौल, न्यायमूर्ति के समक्ष

मैसर्स कर्नाटक विद्युत कारखाना लिमिटेड, बंगलौर और एक अन्य, *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, पंचकूला, - *प्रतिवादी।*

सी.आर. 1995 *की सं.* 2712।

14 अक्टूबर, 1996।

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 - धारा 39 - सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908 - धारा 115 - अपील योग्य आदेश - अधिनियम* की धारा 5 और 33 *के प्रावधानों के तहत दायर मध्यस्थ को हटाने के लिए आवेदन - आवेदन पर पारित आदेश अपील योग्य नहीं है - संशोधन सक्षम है।*

अभिनिर्धारित किया कि यह पता लगाने के लिए कि अधिनियम की धारा 33 के साथ पढ़ी गई धारा 5 के तहत उप-न्यायाधीश द्वारा पारित उक्त आदेश अपील योग्य है या नहीं, अधिनियम की धारा 39 को संदर्भित करना प्रासंगिक है जो निम्नानुसार प्रावधान करता है: –

"धारा 39 *अपील योग्य आदेश :*

1. इस अधिनियम के तहत पारित निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से कानून द्वारा अधिकृत अदालत में अपील की जाएगी जो आदेश पारित करने वाले न्यायालय के मूल डिक्री से अपील सुनेगी:

एक आदेश:

(i) मध्यस्थता की अनदेखी करना,

(ii) एक विशेष मामले के रूप में बताए गए पुरस्कार पर;

(iii) (यूआई) एक पुरस्कार को संशोधित या सही करना:

(iv) मध्यस्थता समझौते को दाखिल करना या अस्वीकार करना;

(v) जहां मध्यस्थता समझौता होता है, वहां कानूनी कार्यवाही को रोकना या कहना अस्वीकार करना;

(vi) एक फैसले को रद्द करना या रद्द करने से इनकार करना:

बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान एक लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश पर लागू नहीं होंगे।

(2) इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश से कोई दूसरी अपील नहीं की जाएगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय को प्रभावित नहीं करेगा

मैसर्स कर्नाटक विद्युत कारखाना लिमिटेड, बंगलौर और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, पंचकूला

(श्री एल. *कौल, न्यायमूर्ति)*

या उसके अधिकार को नहीं छीनेगा।

विचाराधीन आदेश ऊपर निर्धारित धारा 39 की उप- धारा (i) से (vi) के अंतर्गत नहीं आता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्यस्थता के मामले में बिल्कुल भी चिंतित नहीं होने वाले पक्षों में से एक द्वारा स्व-नियुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश अपील योग्य नहीं है। कानून के तहत यह अच्छी तरह से तय है कि अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित कोई भी आदेश अपील योग्य नहीं है।

(पैरा 17 & 18)

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति कि पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि आदेश के खिलाफ किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी गई थी, इस तथ्य के लिए टिकाऊ नहीं है कि अधिनियम की धारा 5 और 33 के दायरे में पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है।

(पैरा 20)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पी.एस. पाना।

प्रतिवादी *की ओर से* अधिवक्ता *के. के. गुप्ता।*

निर्णय

श्री एल. *कौल, न्यायमूर्ति*

(1) ये नौ पुनरीक्षण याचिकाएं चंडीगढ़ के प्रथम श्रेणी के उप-न्यायाधीश के दिनांक 31 जनवरी, 1995 के नौ आदेशों के विरुद्ध निर्देशित हैं। उक्त आदेशों द्वारा विद्वान उप न्यायाधीश ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 33 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत विपरीत पक्ष - हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (इसके बाद याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित) के आवेदनों को अनुमति दी।

(2) ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने मेसर्स एन.जी.ई.एफ. लिमिटेड (इसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में संदर्भित) द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के लिए नौ अनुबंधों में प्रवेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्न संख्या 4701/168 दिनांक 27 दिसंबर, 1976 के तहत भेजा गया पहला अनुबंध *याचिकाकर्ता के दिनांक 15 फरवरी, 1977 के टेलीग्राम के माध्यम से स्वीकार किया गया था और पुष्टि की गई थी, 15 फरवरी, 1977 के अनुमोदन संख्या 4916/क्यूएच-932/सेल-4 के माध्यम से।* अनुबंध याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच प्रभावी हुआ और अनुबंध के नियमों और शर्तों पर उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध में एक शर्त थी कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा याचिकाकर्ता को आपूर्ति किए जाने वाले ट्रांसफार्मर मेसर्स कर्नाटक विद्युत कारखाना लिमिटेड (इसके बाद प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में संदर्भित) के बने होने चाहिए।

(3) अनुबंध के निबंधन और शर्तों के अनुसार, खरीद आदेश में सं 2008 अंकित है। दिनांक 1 मार्च, 1977 के एचएच-1154 को प्रतिवादी संख्या 1 के पास रखा गया था ताकि उसके द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर आपूर्ति की जाने वाली सामग्री भेजी जा सके। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के संबंध में भुगतान याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच समायोजित किया

गया था और शेष भुगतान प्रतिवादी नंबर 1 को किया गया था और उपरोक्त खरीद आदेश के खिलाफ कुछ भी बकाया नहीं था। इस आदेश के विरुद्ध सामग्री की अंतिम खेप 9 अगस्त, 1977 को प्राप्त हुई थी और अंतिम बिल 30 नवंबर, 1977 को प्रस्तुत किया गया था जिसे विधिवत रूप से संतुष्ट किया गया था। प्रतिवादी नंबर 2 जो ट्रांसफार्मर के निर्माता थे, ने सामग्री की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया था। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता से उन्हें 1,40,742.13 रुपये की राशि बकाया थी और इस संबंध में अपने वकील के माध्यम से, *5 फरवरी, 1992 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि मामले को बैंगलोर में श्री आर दोरेस्वामी (इसके बाद प्रतिवादी नंबर 3 के रूप में संदर्भित) की मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।*

(4) इसी प्रकार दिनांक 11 अप्रैल, 1977 के कोटेशन सं. 4701/174 के अंतर्गत एक अन्य संविदा के आधार पर 11 अप्रैल, 1977 को एक खरीद आदेश दिया गया। दिनांक 26 जुलाई, 1977 के एचएच 1204 को प्रतिवादी संख्या 2 के साथ रखा गया था। इस मामले में भी प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि याचिकाकर्ता से 52,718.93 रुपये की राशि बकाया थी और मामले को बैंगलोर में प्रतिवादी नंबर 3 की मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

(5) 24 दिसंबर, 1977 के कोटेशन नंबर 4701/185 के तहत तीसरे मामले में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच एक और अनुबंध अस्तित्व में आया। दिनांक 20 अप्रैल, 1978 के एचएच 1363 को प्रतिवादी संख्या 1 के पास रखा गया था और तदनुसार इस अनुबंध के तहत भी आपूर्ति की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 ने बिना किसी अनुबंध के याचिकाकर्ता के साथ निष्पादित होने के खिलाफ अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस दिया कि याचिकाकर्ता से 23,741.64 रुपये की राशि उसे देय थी और यह भी सूचित किया कि मामले को बैंगलोर में प्रतिवादी नंबर 3 की मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

(6) 28 दिसंबर, 1977 के कोटेशन नंबर 4701/186 के तहत चौथे मामले में एक और अनुबंध अस्तित्व में आया और ट्रांसफार्मर की आपूर्ति प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा याचिकाकर्ता को की गई, भुगतान को मंजूरी दे दी गई और याचिकाकर्ता के प्रति प्रतिवादी नंबर 1 से कुछ भी देय नहीं था। उक्त खरीद आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 2 से एक नोटिस मिला था कि याचिकाकर्ता से प्रतिवादी नंबर 2 की ओर 459.66 रुपये की राशि बकाया थी और मामले को बैंगलोर में प्रतिवादी नंबर 3 की मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

(7) पांचवें मामले में भी 28 जून, 1978 के कोटेशन नंबर 4701/192 के आधार पर याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के लिए एक और अनुबंध निष्पादित किया गया था। अन्य मामलों की तरह ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की गई और बिलों का भुगतान किया गया। हालांकि, प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने वकील के माध्यम से *5 फरवरी, 1992 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि मामले को मामले में शामिल राशि को निर्दिष्ट किए बिना बैंगलोर में प्रतिवादी नंबर 3 की मध्यस्थता में भेज दिया गया था।*

(8) याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच दिनांक 20 फरवरी, 1979 के कोटेशन नंबर 4701/213 से सामने आए छठे अनुबंध में ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति खरीद आदेश संख्या एचएच 1585 दिनांक 20 जून 1979 पर की गई थी और बिलों का निपटान किया गया। हालांकि, प्रतिवादी नंबर 2 से एक नोटिस प्राप्त हुआ कि याचिकाकर्ता से उसके प्रति 1,77,457.17 रुपये की राशि बकाया थी और याचिकाकर्ता को अपने अधिवक्ता के माध्यम से सूचित किया। दिनांक *5 फरवरी, 1992 के पत्र के माध्यम से कि मामले को बैंगलोर में प्रतिवादी*

मैसर्स कर्नाटक विद्युत कारखाना लिमिटेड, बंगलौर और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, पंचकूला

(श्री एल. *कौल, न्यायमूर्ति)*

संख्या 3 की मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।.

(9) उसी तरह से खरीद आदेश पर संख्या 10 एचएच 1584 दिनांक 2 जून, 1979 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा याचिकाकर्ता को सामग्री की आपूर्ति की गई थी और बिलों का निपटान किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 2 से एक नोटिस मिला था कि प्रतिवादी नंबर 2 को 2,04,752.91 रुपये की राशि बकाया थी। उस मामले में भी मामले को बैंगलोर में प्रतिवादी नंबर 3 की मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

(10) एक अन्य अनुबंध दिनांक 28 फरवरी, 1979 के उद्धरण संख्या 4701/211 से उत्पन्न हुआ और खरीद आदेश एचएच 1592 दिनांक 26 जून, 1979 के आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा याचिकाकर्ता को ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की गई थी और बिलों का निपटान किया गया था। इस मामले में भी प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि प्रतिवादी नंबर 2 को उससे 2,49,683.76 रुपये की राशि बकाया थी। याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि मामले को बैंगलोर में प्रतिवादी नंबर 3 की मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

(11) ट्रांसफॉर्मरों की आपूत के लिए अंतिम आदेश उत्तरदाता संख्या 1 को दिनांक 28 फरवरी, 1979 के उद्धरण सं. 4701/262 के आधार पर खरीद आदेश एचएच 1593 दिनांक 26 जुलाई, 1979 के अनुसरण में दिया गया था। आपूर्ति याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त की गई थी और उक्त खरीद आदेश के खिलाफ कुछ भी बकाया नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 2 से एक नोटिस भी मिला, जिसमें उसे सूचित किया गया था कि उक्त आदेश के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 2 को याचिकाकर्ता से 1,57,390.72 रुपये की राशि बकाया थी और इसके वकील के माध्यम से, 5 *फरवरी, 1992 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि मामले को बैंगलोर में प्रतिवादी नंबर 3 की मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।*

(12) प्रतिवादियों ने नीचे के न्यायालय में आपत्तियां दर्ज कीं, इस आधार पर आवेदन में की गई बातों को खारिज कर दिया कि उक्त न्यायालय के पास इस तथ्य के लिए आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि याचिकाकर्ता ने नीचे की अदालत के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया था। आगे यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 2 के एकमात्र बिक्री एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था और उसने याचिकाकर्ता को ट्रांसफार्मर के निर्माण और आपूर्ति के लिए प्रतिवादी नंबर 2 के साथ समझौता किया था और इस प्रकार उसे याचिकाकर्ता से प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्राप्त भुगतान से ही कमीशन प्राप्त करना था। यह कहा गया था कि खरीद आदेश वास्तव में प्रतिवादी नंबर 1 के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 2 को दिए गए थे और सामग्री की आपूर्ति प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा की जानी थी। यह प्रतिवादी नंबर 2 था जिसे उक्त अनुबंधों की शर्तों के अनुसार क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता ने भुगतान जारी नहीं किया और इसे 10.7 लाख रुपये की सीमा तक रोक दिया और इसके अलावा 6.24 लाख रुपये की बैंक गारंटी भुना ली गई और इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता से 16,31,156.91 रुपये के शेष भुगतान का हकदार था।

(13) इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे -

1. क्या याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच कोई कानूनी और वैध मध्यस्थता समझौता है? ओ पी आर

2. यदि मुद्दा संख्या 1 साबित हो जाता है, तो क्या प्रतिवादी नंबर 3 मध्यस्थ के रूप में हटाए जाने के लिए उत्तरदायी है? ओ पी ए
3. क्या प्रतिवादी नंबर 2 का दावा समय पर रोक है? ओ पी ए
4. क्या इस न्यायालय के पास इस याचिका पर विचार करने का अधिकार है? ओ पी आर
5. अनुतोष

(14) याचिकाकर्ता के पक्ष में सभी मुद्दों पर आए निष्कर्षों के मद्देनजर, प्रतिवादी नंबर 3 को इस मामले में मध्यस्थ के रूप में हटाने का आदेश दिया और प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दिए गए संदर्भ को रद्द कर दिया और मामले में प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा शुरू की गई सभी कार्यवाही को अवैध और मनमाना होने के लिए रद्द कर दिया। हालांकि, यह देखा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच निष्पादित मूल अनुबंध के अनुसार विवाद में मामले, यदि कोई हो, को मध्यस्थता में भेजने के लिए स्वतंत्र था।

(15) न्यायालय के उक्त आदेशों से व्यथित इन नौ पुनरीक्षण याचिकाओं के नीचे यह माना गया है कि:-

> "धारा 5 में दिए गए प्रावधान के अनुसार मध्यस्थ या अंपायर के अधिकार को रद्द करने पर विचार किया जाता है। यदि धारा 33 के तहत मध्यस्थता समझौते की व्याख्या पर, न्यायालय इसके प्रभाव को निर्धारित करता है, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थ पार्टियों के बीच किसी विशेष विवाद का फैसला करने का हकदार नहीं होगा, तो ऐसा निर्धारण अधिनियम की धारा 5 के तहत मध्यस्थ के अधिकार का निरसन नहीं होगा। किसी भी घटना में, धारा 5 को अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, धारा 5 से यह स्पष्ट है कि अदालत की अनुमति के साथ मध्यस्थ या अंपायर के अधिकार को रद्द किया जा सकता है।

(16) चूंकि मध्यस्थ को हटाने के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 5 और 33 के प्रावधानों के भीतर दायर किया गया है और नीचे के न्यायालय द्वारा आयोजित निर्धारण यह था कि प्रतिवादी No. 3 को इस मामले में मध्यस्थ के रूप में कभी नियुक्त नहीं किया गया था और उसने बिना किसी कानूनी अधिकार के मध्यस्थ के अधिकार को हड़प लिया, इसलिए, उनकी नियुक्ति *को अमान्य* घोषित कर दिया गया था /

(17) यह पता लगाने के लिए कि क्या अधिनियम की धारा 33 के साथ पढ़ी गई धारा 5 के तहत उप-न्यायाधीश द्वारा पारित उक्त आदेश अपील योग्य है या नहीं, अधिनियम की धारा 39 को संदर्भित करना प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है: –

> "धारा 39 *अपील योग्य आदेश*:
>
> 1. इस अधिनियम के तहत पारित निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से कानून द्वारा अधिकृत अदालत में अपील की जाएगी जो आदेश पारित करने वाले न्यायालय के मूल डिक्री से अपील सुनेगी:

मैसर्स कर्नाटक विद्युत कारखाना लिमिटेड, बंगलौर और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, पंचकूला

(श्री एल. *कौल, न्यायमूर्ति)*

एक आदेश:

1. मध्यस्थता की अनदेखी करना;
2. एक विशेष मामले के रूप में बताए गए पुरस्कार पर;
3. किसी पुरस्कार को संशोधित करना या सुधारना;
4. मध्यस्थता समझौते को दाखिल करना या अस्वीकार करना;
5. जहां मध्यस्थता समझौता होता है वहां कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाना या इनकार करना;
6. एक फैसले को रद्द करना या रद्द करने से इनकार करना:

बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान किसी लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश पर लागू नहीं होंगे।

(2) इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश से कोई दूसरी अपील नहीं होगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के किसी भी अधिकार को प्रभावित या छीननहीं पाएगा।

(18) विचाराधीन आदेश ऊपर निर्धारित धारा 39 के उप-धारा (i) से (vi) के अंतर्गत नहीं आता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्यस्थता के मामले से कोई लेना-देना नहीं होने वाले पक्षों में से एक द्वारा स्व-नियुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश अपील योग्य नहीं है। कानून के तहत यह अच्छी तरह से तय है कि अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित कोई भी आदेश अपील योग्य नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ए.आई.र. 1979 इलाहाबाद 342 में कहा है कि जिस व्यक्ति के पास नियुक्ति करने का अधिकार है, उसे हमेशा नियुक्ति वापस लेने या रद्द करने का अधिकार है। ऐसे मामले में पक्षकारों को बिना उपाय के नहीं छोड़ा जा सकता है। उस मामले में यह पाया गया कि पार्टियां नियुक्त मध्यस्थ के अधिकार को रद्द करने के लिए धारा 5 के तहत अदालत की अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम थीं।

(19) इस मामले में प्रतिवादी नंबर 3, जो प्रतिवादी नंबर 2 का स्व-नियुक्त मध्यस्थ है, को मध्यस्थता के लिए प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा भेजे गए कुछ गैर-मौजूद मामले के संदर्भ में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इस दृष्टिकोण से, मैं एआईआर 183, पटना 3 में, जिसमें उस न्यायालय की खंडपीठ ने कहा है कि "अधिनियम की धारा 33 और धारा 19 और 25 के तहत पारित आदेश के बीच बुनियादी और मौलिक अंतर यह है कि अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित एक आदेश मध्यस्थता समझौते को अस्तित्वहीन बनाता है, लेकिन धारा 19 और 25 के तहत आदेश के तहत मध्यस्थता समझौते की प्रवर्तनीयता को प्रतिस्थापित किया जाता है और समझौता वैध रह सकता है"।

(20) इसलिए, मेरी राय में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति कि पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि आदेश के खिलाफ किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी गई थी, इस तथ्य के लिए टिकाऊ नहीं है कि अधिनियम की धारा 5 और 33 के दायरे में पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है।

(21) एक बार जब यह पाया जाता है कि पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है, तो यह देखा जाना चाहिए कि क्या न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई अवैधता या अनौचित्य किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ द्वारा यह सही आग्रह किया गया है कि अधिनियम की धारा 4 आई में प्रयुक्त 'पक्ष' शब्द केवल मध्यस्थता समझौते के पक्षों पर विचार करता है और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है जो उनकी ओर से मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए उनके द्वारा अधिकृत है। इस संबंध में मेरा ध्यान अधिनियम की धारा 4 की ओर दिलाया गया है जो निम्नानुसार है -

"धारा 4 समझौता है कि मध्यस्थों को तीसरे पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

मध्यस्थता समझौते के पक्षकार इस बात से सहमत हो सकते हैं कि इसके तहत कोई भी संदर्भ एक मध्यस्थ या आर्बी-ट्रैक्टर्स के लिए होगा, जिसे समझौते में नामित व्यक्ति द्वारा या तो नाम से या किसी भी कार्यालय या नियुक्ति के समय धारक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(22) याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच निष्पादित अनुबंध के नियम और शर्तें, जैसा कि सभी नौ अनुबंधों में एक्स. पी 3 में निहित है, कहीं भी यह नहीं बताता है कि प्रतिवादी नंबर 2 स्पष्ट रूप से या निहित रूप से ऐसे किसी भी अनुबंध का एक पक्ष है। अनुबंध के खंड 4 उप-खंड (iii) में विशेष रूप से प्रावधान है कि आपूर्तिकर्ता (यानी प्रतिवादी संख्या 2) क्रेता (यानी याचिकाकर्ता) की लिखित सहमति से अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से या उसमें ब्याज या किसी भी तरह से लाभ या लाभ नहीं देगा। अनुबंध का यह प्रावधान विशेष रूप से यह बताता है कि प्रतिवादी नंबर 1 किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के साथ निष्पादित अनुबंध या उसके हित के किसी भी हिस्से को याचिकाकर्ता की पूर्व अनुमति के अलावा किसी और के साथ किसी भी तरह से लाभ या लाभ नहीं दे सकता है। प्रतिवादी नंबर 2 एक गैर-इकाई पक्ष है और किसी भी तरह से उसे इस तथ्य के लिए गोपनीयता का पक्ष नहीं माना जा सकता है कि वह प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा याचिकाकर्ता को आपूर्ति किए गए ट्रांसफार्मर का निर्माता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा याचिकाकर्ता को आपूर्ति किए जाने वाले ट्रांसफार्मर प्रतिवादी नंबर 2 के बने होने थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 2 अनुबंध का एक पक्ष था।

(23) मान लीजिए कि 'ए' 'बी' को 'सी' (पेंसिल का निर्माता) से बनी पेंसिलों की आपूर्ति करने का आदेश प्रदान करता है और उन पेंसिलों को सीधे 'सी' द्वारा 'ए' को आपूर्ति की जाती है; क्या यह 'सी' को 'ए' और 'बी' के बीच निष्पादित अनुबंध में एक पक्ष बनने और भुगतान के लिए विवाद पर संदर्भ दर्ज करने के लिए अपनी पसंद के मध्यस्थ को नियुक्त करके मध्यस्थता की मांग करने का अधिकार देता है? इसका उत्तर 'नहीं' है क्योंकि करार में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि 'बी' के कहने पर भी अनुबंध के अनुसार 'ए' को आपूर्ति की गई पेंसिलों के लिए 'सी' सीधे 'ए' से भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। इस मामले में, समझौते में एक शर्त है कि समय-समय पर पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी मामलों, प्रश्नों, विवादों, मतभेदों को अध्यक्ष (याचिकाकर्ता बोर्ड के) या अध्यक्ष द्वारा उनके नामित व्यक्ति के रूप में नियुक्त अधिकारी की एकमात्र मध्यस्थता को भेजा जाएगा। मध्यस्थ के पुरस्कार को इस अनुबंध के पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी माना गया था।

(24) 14 अप्रैल को दिए गए एक असाइनमेंट डीड पर ध्यान देने से आश्चर्य होता है। प्रतिवादी

मैसर्स कर्नाटक विद्युत कारखाना लिमिटेड, बंगलौर और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, पंचकूला

(श्री एल. *कौल, न्यायमूर्ति)*

संख्या 1 और 2 के बीच 1989 को निष्पादित किया गया था, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिवादी नंबर 2 को अधिकृत किया है कि वह याचिकाकर्ता के साथ निष्पादित किए गए अनुबंध के असाइनमेंट द्वारा हित में उत्तराधिकारी होगा। अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अंतिम संविदा 28 फरवरी, 1979 को समाप्त हो गई थी और अंतत दोनों पक्षों के बीच बिलों का निपटान कर दिया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने 14 अप्रैल, 1989 तक याचिकाकर्ता से किसी भी राशि का दावा नहीं किया, जब एक अजीब तरीके से प्रतिवादी नंबर 2 के साथ एक असाइनमेंट डीड निष्पादित किया, जिसने इस विलेख का उपयोग करते हुए दावा किया कि याचिकाकर्ता से 16,31,156.91 रुपये बकाया थे और इस संबंध में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर के सूचित किया गया कि मामलों को प्रतिवादी नंबर 3 की मध्यस्थता के लिए भेजा गया है, जो किसी भी तरह से आरोपी नहीं था। पार्टियों द्वारा मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

(25) नीचे के न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है और पाया है कि पार्टियों की ओर से दर्ज किए गए सबूत कि प्रतिवादी नंबर 2 किसी भी तरह से अनुबंध से जुड़ा नहीं था और इसलिए प्रतिवादी नंबर 3 को हटा दिया गया है जो मध्यस्थ के रूप में इस मामले में एक गैर-इकाई था। नीचे के न्यायालय ने इन कार्यवाहियों को अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ अवैध और मनमाना घोषित करने के बाद उनके द्वारा शुरू की गई सभी कार्यवाहियों को सही ढंग से रद्द कर दिया है। उन्होंने सही कहा है कि प्रतिवादी नंबर 1, जो अनुबंध का पक्षकार था, यदि अनुबंधों की शर्तों से प्रभावित था, तो विवाद को याचिकाकर्ता के अध्यक्ष की एकमात्र मध्यस्थता के पास भेज सकता है, जैसा कि एक्स. पी 3 में निहित है। आक्षेपित आदेश पारित करने में चंडीगढ़ के उप न्यायाधीश द्वारा किसी भी तरह से कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं किया गया है। इसलिए, सभी नौ पुनरीक्षण याचिकाएं विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी